

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांक:- 722 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, अक्टूबर 26 / ,2024.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

विषय-

जनपद चमोली में आल्यू से चलियापानी तक मोटर मार्ग हेतु 1.383 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्न किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव सं०- FP/UK/ROAD/145620/2021

सन्दर्भ-
महोदय,

आपकी पत्र सं०- पत्र सं० 1383/1जी-5095 दिनांक 06.12.2022.

उपरोक्त विषयक प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 1662/12-1 दिनांक 18.10.2024 से भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा एफ०आर०सी०एम० बैठक दिनांक 25.11.2022 में लिये गये निर्णय के अनुसार सूचना निम्नप्रकार इस कार्यालय को प्रेषित की गई है-

भारत सरकार द्वारा चाही गई सूचना	आख्या
After detailed discussion, it was decided that the State Government may direct the user agency and local forest officials, jointly to reassess and explore the possibility of connecting the village by means of alternate alignment avoiding forest or through less dense forest.	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 1662/12-1 दिनांक 18.10.2024 से अवगत कराया गया है कि अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, थराली की पत्र सं० पत्र सं० 1205/36सी० दिनांक 05.08.2024 एवं 734/36सी० दिनांक 22.05.2024 से अवगत कराया गया है कि वैकल्पिक संरक्षण का चयन कर उसमें आ रहे वृक्षों की गिनती वन क्षेत्राधिकारी, पश्चिमी पिण्डर रेंज, नारायणबगड़ के साथ की गयी जिसमें कुल 117 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं परन्तु इस नये संरक्षण में 400मी० लम्बाई नाप भूमि अधिक होने से ग्रामीण एवं भू-स्वामियों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है ग्रामवासियों की कृषि योग्य भूमि कम होने के कारण अपनी नाप भूमि देने से मना किया जा रहा है, तथा द्वितीय संरक्षण में मार्ग की लम्बाई लागत बढ़ रही है एवं मार्ग की लम्बाई अधिक होने से अधिक वन भूमि प्रभावित हो रही है, केवल वृक्ष कम आ रहे हैं। विषयांकित मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित संरक्षण पर वृक्षों की गणना कर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (FP/UK/Road/145620/2021) गठित किया गया था, जिसमें उपरोक्त वैकल्पिक संरक्षण की तुलना में 142 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। उक्त संरक्षण में ज्यादा वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, किन्तु मार्ग की लम्बाई/लागत कम आने के साथ ही कम वन भूमि भी प्रभावित हो रही है। मार्ग में प्रथम संरक्षण में पड़ने वाली भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। प्रथम संरक्षण(प्रस्तावित संरक्षण) में नाप भूमि की अनापत्ति ग्रामीणों द्वारा दी गयी है(संलग्न-1)। प्रथम संरक्षण भूगर्भीय दृष्टि से भू-वैज्ञानिक द्वारा उपयुक्त पाया गया है, तथा उनके द्वारा अपने सं० 1205/36सी० दिनांक 05.08.2024 से द्वितीय संरक्षण (वैकल्पिक

JAIDEEP

संरखण) से सम्बन्धित संरखण का तुलनात्मक विवरण संलग्न किया गया है (संलग्न-2)।
 तथा वैकल्पिक संरखण की के0एम0एल0 फाईल जिसमें प्रभावित वन भूमि दर्शित कर दिया गया है। के0एम0एल0 फाईल को पार्ट 1 के यथास्थान अपलोड किया जा चुका है। ग्राम वासियो द्वारा प्रथम संरखण प्रस्तावित संरखण जिस हेतु पूर्व में गठित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (FP/UK/Road/145620/2021) बनाया गया है उस संरखण पर ही सहमति दी गयी है, तथा प्रस्तावित संरखण से मोटर मार्ग का निर्माण से यह मार्ग एक लिंक रोड के रूप में कार्य करेगा उक्त मार्ग परखाल चोपता मोटर मार्ग व परखाल डुंग्री मोटर मार्ग आपस में जुड़ जायेंगे, जिससे ग्राम आलयू के साथ-साथ ग्राम डुंग्री, रेगांव, सिलकोटी व सीरी के निवासियों को आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(आकाश कुमार वर्मा)

वन संरक्षक

गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

पत्रांक 722 / 12-1 दिनांक

प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर को उनके उपरोक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(आकाश कुमार वर्मा)

वन संरक्षक

गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

11 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर 11

पत्रांक 1662 / 12-1 दिनांक, गोपेश्वर, अक्टूबर 18 / 2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

विषय:-

जनपद चमोली में आलयू से चलियापानी तक मोटर मार्ग हेतु 1.383 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं० 1383/1जी-5095 दिनांक 06.12.2022.

महोदय,


उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून के साथ संलग्न भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून द्वारा दिनांक 25.11.2022 के बैठक के कार्यवृत्त में विषयांकित प्रकरण के सम्बन्ध में चाही गयी आख्या के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, थराली की पत्र सं० 1205/36सी० दिनांक 05.08.2024 से आख्या निम्नानुसार इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है:-

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून द्वारा एफ०आर०सी०एम० बैठक दिनांक 25.11.2022 के कार्यवृत्त में चाही सूचना	आख्या
After detailed discussion, it was decided that the State Government may direct the user agency and local forest officials, jointly to reassess and explore the possibility of connecting the village by means of alternate alignment avoiding forest or through less dense forest.	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, थराली की पत्र सं० पत्र सं० 1205/36सी० दिनांक 05.08.2024 एवं 734/36सी० दिनांक 22.05.2024 से अवगत कराया गया है कि वैकल्पिक संरक्षण का चयन कर उसमें आ रहे वृक्षों की गिनती वन क्षेत्राधिकारी, पश्चिमी पिण्डर रेंज, नारायणबगड़ के साथ की गयी जिसमें कुल 117 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं परन्तु इस नये संरक्षण में 400मी० लम्बाई नाप भूमि अधिक होने से ग्रामीण एवं भू-स्वामियों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है ग्रामवासियों की कृषि योग्य भूमि कम होने के कारण अपनी नाप भूमि देने से मना किया जा रहा है, तथा द्वितीय संरक्षण में मार्ग की लम्बाई लागत बढ़ रही है एवं मार्ग की लम्बाई अधिक होने से अधिक वन भूमि प्रभावित हो रही है, केवल वृक्ष कम आ रहे हैं। विषयांकित मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित संरक्षण पर वृक्षों की गणना कर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (FP/UK/Road/145620/2021) गठित किया गया था, जिसमें उपरोक्त वैकल्पिक संरक्षण की तुलना में 142 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। उक्त संरक्षण में ज्यादा वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, किन्तु मार्ग की

लम्बाई/लागत कम आने के साथ ही कम वन भूमि भी प्रभावित हो रही है। मार्ग में प्रथम संरेखण में पड़ने वाली भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। प्रथम संरेखण(प्रस्तावित संरेखण) में नाप भूमि की अनापत्ति ग्रामीणों द्वारा दी गयी है(संलग्न-1)। प्रथम संरेखण भूगर्भीय दृष्टि से भू-वैज्ञानिक द्वारा उपयुक्त पाया गया है, तथा उनके द्वारा अपने सं० 1205/36सी० दिनांक 05.08.2024 से द्वितीय संरेखण (वैकल्पिक संरेखण) से सम्बन्धित संरेखण का तुलनात्मक विवरण संलग्न किया गया है (संलग्न-2)। तथा वैकल्पिक संरेखण की के०एम०एल० फाईल जिसमें प्रभावित वन भूमि दर्शित कर दिया गया है। के०एम०एल० फाईल को पार्ट 1 के यथास्थान अपलोड किया जा चुका है। ग्राम वासियों द्वारा प्रथम संरेखण प्रस्तावित संरेखण जिस हेतु पूर्व में गठित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (FP/UK/Road/145620/2021) बनाया गया है उस संरेखण पर ही सहमति दी गयी है, तथा प्रस्तावित संरेखण से मोटर मार्ग का निर्माण से यह मार्ग एक लिंक रोड के रूप में कार्य करेगा उक्त मार्ग परखाल चोपता मोटर मार्ग व परखाल डुंग्री मोटर मार्ग आपस में जुड़ जायेंगे, जिससे ग्राम आलयू के साथ-साथ ग्राम डुंग्री, रेगांव, सिलकोटी व सीरी के निवासियों को आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।
संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(सर्वेश कुमार)


प्रभागीय वनाधिकारी,

बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:-

दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, थराली को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।


क.के.के.
22/10/24

कार्यालय वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी
प्राप्ति सं०..... 2779.....
पत्रांक सं०..... 12-1.....
दिनांक..... 22/10/24.....
पत्र किसको भेजा..... १. भू. ए.

(सर्वेश कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,

बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

70. अधीशासी अधियन्ता गरीब, लोक निर्माण विभाग थराली चमोली जदवाल

संलानक-01

पत्रांक : 6/2024

JUN 2024

विषय: जिला प्लान योजना चमोली से स्वीकृत नई लिंक मोटर सड़क निर्माण कार्य 2 कि०मी० ग्राम हुंजी के अंतर्गत अलिमो से नलिमापानी तक शीघ्र कार्रवाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

वर्ष 2015-2016 में ग्राम चमोली में विकासखण्ड नारायणगंज तहसील थराली जिला चमोली में जिला प्लान योजना 2 कि०मीटर लंबाई का सर्वे अलिमो से नलिमापानी स्वीकृत हुआ था पर फायल संमत समार से बिन्दु 1 और बिन्दु 2 आपत्ति के साथ संशोधन हेतु भेजा गया था जिसकी प्रतिलिपि पत्र सं 8 वी (मूल्सीपी) 06/137/2024 प्रफ०सी०/463 दिनांक 06/12/2022 संबन्धन हेतु आपत्ति में मागे को धने केंद्र से प्रतावित निगा गूना है जबकि मागे को वृक्ष विहीन अथवा विरल झील से भी प्रस्तावित किया जा सकता है।

महोदय, इस संदर्भ में लोक निर्माण थराली के आध्यात्म से दुबारा सर्वे किया जिसमें वन अधिकारी गोविन्दगंज तथा अन्य पञ्चायत अधिकारी व ग्राम प्रधान ग्राम हुंजी सम्मिलित रहे। प्रथम सर्वे पाया गया कि अन्य क्षेत्र से सर्वे द्वारा मागे की दूरी अधिक व ज्यादातर जगह पर स्लाइड का प्रभाव पड़ रहा है जोकि आर्थिक स्थिति के आधार पर मोटर मागे बनाना नही पाया गया है। भविष्य में स्लाइड के कारण रोड पूरा हमेशा अवरोध रहने की स्थिति में रहेगा। इन सब बातों को मध्यमजर रखते हुये पुराने सर्वे को फिर से उच्च समझा गया है।

आपके संज्ञान में यह भी लाना है कि इस क्षेत्र में 75% सेना में कार्यरत है वर्तमान समय में देश के अग्रिम सीमा में सेवारत है। सेनिकों के परिवारों गांव के सड़क सुविधा न होने के कारण अत्यधिक कठिनाई में सामना करना पड़ता है तथा गांव के वृद्ध बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं की विचार की स्थिति में इलाज हेतु सड़क पर अस्पताल नही पहुँच पाते हैं और रास्ते में हाथ का बिकार हो जाते हैं। यह प्रकरण 2015-2016 से लम्बित है और जनता में सड़क की सुविधा न होने के कारण अतयन्त आक्रोश है।

-2-

आपके आग्रह से यह भी बताया है कि राज्य की आप-
न नीति के अन्तर्गत 2015-2016 से आंतक, परिवार,
शिक्षण से देहात के लोग तथा आंगणशालाओं के स्वामी
में आना शुरू है।

आम जनता आम इंगी द्वारा यह भी अस्वीकार किया गया
है कि उपरोक्त सभी विद्वानों को सचनगर परिसर में
आलियों से नोलिभापानी तक मोटर मार्ग को निर्माण हेतु
जल्दी से जल्दी अनायास जाय।

अतः प्रदेश से निम्न आर्चना है आंगण पंचायत इंगी
विकासखण्ड नारायणगड तहसील कराली जिला नमोल में
जिला प्लान योजना 2 कि.मीटर नई सड़क का निर्माण करनी
सर्वे जो पट्टे की गयी थी और भारत सरकार द्वारा जल अर्धक
हेतु आपके पास भेजा गया है उस पर ग्रहन अध्ययन के
बाद कबो फिर से निर्देशित कैसे का कपल करें।


आंगणवासियों द्वारा 400 मी इस पत्र के साथ
सलगधन किया जाता है,
धन्यवाद।

भवदीय,

हस्ताक्षर आंगणवासी आलियों (इंगी) आंगणप्रधान

1. जाधसिंह - जाध
2. जीतासिंह - बीर
3. जीप्रेससिंह - जयपुर
4. विप्रेससिंह - बिहारी
5. मन्नापालसिंह नेगी जयपुर
6. देवासिंह नेगी जयपुर
7. अवतापसिंह नेगी - जयपुर
8. गोपालसिंह नेगी - जयपुर
9. गजसिंह नेगी - जयपुर
10. सायसिंह नेगी - बिहारी

श्वं समस्त आंगणवासी
आलियों (इंगी)
तहसील - कराली नारायणगड
नमोली गडवाल



"विवरण"

कार्य का नाम :- जिला योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली में आलयू से चलियापानी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (संरेखण 1)


क्र० सं०	विवरण	संरेखण नं० 1	संरेखण नं० 2
1	मुख्य विशेषतायें	मार्ग पक्के भागों से गुजरता है तथा मार्ग में वन सम्पदा न्यूनतम मात्रा में है। मार्ग के निर्मित होने पर इस क्षेत्र के ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी एवं पर्यटन में वृद्धि होगी।	मार्ग कच्चे भागों से गुजरता है तथा मार्ग में वन सम्पदा अत्यधिक मात्रा में है। मार्ग के निर्मित होने पर इस क्षेत्र के ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी एवं पर्यटन में वृद्धि होगी।
2	मार्ग की लम्बाई	2,000 कि० मी०	2,400 कि० मी०
3	वर्तमान यातायात का साधन	पैदल मार्ग/खच्चर/घोड़ा	पैदल मार्ग/खच्चर/घोड़ा
4	भूमि		
	(अ) कृषि योग्य भूमि	300.00 मी०	741.00 मी०
	(ब) ग्राम पंचायत	875.00 मी०	722.00 मी०
	(स) वन भूमि	825.00 मी०	937.00 मी०
5	सिंचित भूमि	-	-
6	असिंचित भूमि	2000.00 मी०	2400.00 मी०
7	जिला परिषद का पैदल मार्ग	-	-
8	सूर्य प्रकाशित भूमि	2.00 कि० मी०	2.40 कि० मी०
9	भूस्खलन भूमि	-	100 मी०
10	वन सम्पदा	बाँझ (कम मात्रा में)	बाँझ (अधिक मात्रा)
11	भूमि	मिट्टी, बोल्टर व कठोर चट्टान	मिट्टी, बोल्टर व कठोर चट्टान
12	मार्ग का ढाल	सामान्यतः 1:20F, 1:20R 1:24F, 1:40F	सामान्यतः 1:18F, 1:20R 1:24F, 1:40F, 1:24R
13	अनुप्रस्थ ढाल	-	-
	(अ) सामान्य ढाल	सामान्य	सामान्य


Jaw
JE


AE

	(ब) तीव्र ढाल	1:20	1:18
14	मजदूर	कार्य सम्पादन में बाहरी मजदूरों का सहयोग लिया जा सकता है।	कार्य सम्पादन में बाहरी मजदूरों का सहयोग लिया जा सकता है।
15	पानी की निकासी		
	(अ) बड़े पुल	-	-
	(ब) छोटे पुल	-	-
	(स) छोटी पुलिया	16 स्कंपर	20 स्कंपर
16	लभान्वित ग्राम	आलयू	आलयू
17	प्रस्तावित मोटर मार्ग से संबंध	परखाल-डुंग्री मोटर मार्ग के अन्तिम बिन्दु से।	परखाल-डुंग्री मोटर मार्ग के अन्तिम बिन्दु से।
18	कृषि एवं फल उपयोग की दृष्टि से मार्ग का उपयोग	संतरा, चौलाई, आदि।	संतरा, चौलाई, आदि
19	वन सम्पदा का उपयोग	सड़क निर्माण से क्षेत्र की जनता को परिवहन की सुविधा होगी।	सड़क निर्माण से क्षेत्र की जनता को परिवहन की सुविधा होगी।
20	खनिज एवं अन्य सम्पदा का उपयोग	- तदैव -	- तदैव -
21	लाभ/हानि	सुदूरवर्ती एवं पिछड़े क्षेत्र का विकास होगा मार्ग के निर्माण से समय तथा धन की बचत होगी।	सुदूरवर्ती एवं पिछड़े क्षेत्र का विकास होगा मार्ग के निर्माण से समय तथा धन की बचत होगी।
22	अनुमानित लागत	रु० 103.60 लाख	रु० 124.32 लाख
23	पत्थर	अधिकतर भाग में मिट्टी/पत्थर हैं।	अधिकतर भाग में मिट्टी/पत्थर हैं।
24	वर्षा एवं जलवायु	सामान्य से अधिक वर्षा, मौसम नम व ठण्डा।	सामान्य से अधिक वर्षा, मौसम नम व ठण्डा।
25	एच०पी बैण्ड	4 नं०	5 नं०

प्रस्तावित समरेखण नं० 1 के विषय में उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मार्ग निर्माण से उक्त ग्रामवासियों के साथ सुदूरवर्ती पिछड़े क्षेत्र की अन्य जनता को भी यातायात की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी, तथा क्षेत्र का आर्थिक, सामाजिक स्तर उंचा होगा। अतएव प्रस्तावित समरेखण नं० 1 को स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।


 जिला अधिकारी
 अभियन्ता
 लो०नि०वि०
 थराली।


 जिला अभियन्ता
 लो० नि० वि०
 थराली


 अधिशासी अभियन्ता
 लो०नि०वि०
 थराली।